ए.

विश्वास उद्योग सीमित

बनाम

भारत और भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1167)

बी.

05 अगस्त, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** मुख्य न्यायाधीश **,** जे**.** के**.** माहेश्वरी और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

कंपनी अधिनियम, 1956 -एस. 77-एस. ई. बी. आई. द्वारा सूचना का खुलासा न करना-एस. ई. बी. आई. ने निष्पक्ष रूप से कार्य करने का निर्देश दिया-आर. आई. एल. और उसकी सहयोगी कंपनियों और उसके निदेशकों के खिलाफ एस. ई. बी. आई. के पास शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आर. आई. एल. से कथित रूप से जुड़ी संस्थाओं को आर. आई. एल. के 12 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए-जांच प्राधिकरण द्वारा एस. ई. बी. आई. ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया कि उपरोक्त रिपोर्ट अनिर्णायक थी और इस संबंध में आगे की जांच की सिफारिश की-आर. आई. एल. के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की संभावना पर अपनी राय देने के लिए वर्ष 2009 में एस. ई. बी. आई. ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से संपर्क किया-सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने अपनी पहली राय दी जो अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आधार बनी-एस. ई. बी. आई. ने आर. आई. एल. को एक पत्र भेजा जिसमें आरोप लगाया गया कि आर. आई. एल. ने 38 संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन दिया था।77 (2) अधिनियम का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप एस. ई. बी. आई. विनियम, 1995 के विनियम 3,5 और 6 का उल्लंघन किया-आर. आई. एल. ने दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध करते हुए एस. ई. बी. आई. को पत्र संबोधित किए-एस. ई. बी. आई. ने यह कहते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की राय की प्रति प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया कि यह विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय प्रकृति का है-आर. आई. एल. ने एस. ई. बी. आई. के समक्ष निपटान आवेदन दायर किया-एस. ई. बी. आई. ने दूसरी बार सेवानिवृत्त न्यायाधीश की राय मांगी जिन्होंने एस. ई. बी. आई. को चार्टर्ड एकाउंटेंट से परामर्श करने के लिए वापस लिखा-यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश की दूसरी राय में

समाप्त हुआ-अपीलार्थी ने निपटान आवेदन के संबंध में और सामग्री मांगी-एस. ई. बी. आई. ने दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए अनुरोध को खारिज कर दिया-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया-एस. ई. बी. आई. ने विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में शिकायत दायर की जिसे सीमा द्वारा वर्जित होने के रूप में खारिज कर दिया-एस. ई. बी. आई. ने पहले

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

730 ए.

731

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ए

अपीलार्थी को आवश्यक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जारी करके अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना आपराधिक शिकायत शुरू करने की एस. ई. बी. आई. की कार्रवाई अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का घोर उल्लंघन है-एस. ई. बी. आई. की आपत्ति कि दस्तावेजों के प्रकटीकरण का मुद्दा न्यायिक है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमेबाजी के पहले दौर में इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, कानून की नजर में कायम नहीं किया जा सकता है-सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहली राय 'कानूनी विशेषाधिकार' के दायरे में नहीं आती है।129 साक्ष्य अधिनियम-दूसरी राय और चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट अपराध का निर्धारण करने के लिए SEBI द्वारा की गई तथ्य खोजने की कवायद की निरंतरता के अलावा और कुछ नहीं है-दस्तावेजों को चुनने का SEBI का प्रयास, यह खुलासा करने का प्रस्ताव करता है, एक निष्पक्ष परीक्षण के लिए प्रतिबद्धता का अपमान करता है-उत्तरदाताओं को अपीलार्थी को उपरोक्त संदर्भित दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 1995-विनियमन 3,5,6-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और दंड लगाने की प्रक्रिया) नियम, 1995-नियम 4-SEBI अधिग्रहण विनियम-विनियम 11 (1)-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बी.

सी.

डी.

ई.

नियामक की भूमिका-निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य-एस. ई. बी. आई. एक नियामक है और पक्षकारों के खिलाफ कार्यवाही करते समय या कोई कार्रवाई शुरू करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य रखता है-एक अर्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते, एस. ई. बी. आई. का संवैधानिक अधिदेश कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करना है-एक नियामक की भूमिका शिकायतों और पक्षों से निष्पक्ष तरीके से निपटना है, और सफल दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए कानून के शासन को दरकिनार नहीं करना है-नियामकों पर सार्वजनिक सहयोग और सम्मान के रूप में निष्पक्षता दिखाने का एक ठोस कर्तव्य है-एस. ई. बी. आई. द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ अटूट रूप से बंधा हुआ है, जिसमें एक पक्ष को अपनी रक्षा करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना निंदा नहीं की जा सकती है।

एफ.

जी.

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-चर्चा की गई।

एच.

कंपनी कानून-आपराधिक कार्रवाई-वाणिज्यिक लेन-देन में आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत-यह बहुत सावधानी के साथ होनी चाहिए और अदालतों को इसके लिए द्वारपाल के रूप में काम करना चाहिए-बड़े निगमों के खिलाफ तुच्छ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से लंबे समय में देश के लिए प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे-नियामक को इस तरह की कार्रवाई शुरू करने में सतर्क रहना चाहिए और प्रत्येक कारक को सावधानीपूर्वक तौलना चाहिए।

बी.

परीक्षण-पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई-अपारदर्शिता केवल पूर्वाग्रह और पक्षपात का प्रचार करती है-अपारदर्शिता पारदर्शिता के विरोधी है-कानून के शासन में आधारित देश में, संस्थानों को ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हैं-निष्पक्षता और न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता के सिद्धांत खुले न्याय के सिद्धांतों की आधारशिला हैं।

सी.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.129-मुकदमे का विशेषाधिकार-कानूनी विशेषाधिकार अभियोजन शुरू करने के लिए SEBI द्वारा उपयोग की जाने वाली कानूनी राय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसी राय जांच का हिस्सा है।

डी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-विलंब की सजा-धारा 473 यह कहने में स्पष्ट है कि कोई भी सीमा यू/एस निर्धारित की गई है।यदि न्याय के हित में व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त कारण बनाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 की अनदेखी की जा सकती है-आपराधिक अभियोजन शुरू करने में सार्वजनिक हित को संतुलित करने की कोशिश करते हुए प्रावधान को व्यक्तिगत मामले की विशिष्टताओं तक सीमित कर दिया गया है, जबकि न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है-न्यायालय में निहित ऐसा विवेकाधिकार एक सैद्धांतिक अभ्यास होना चाहिए, जिसमें चित्रित तथ्य और परिस्थितियां इस तरह के अभ्यास को उचित ठहराती हैं-उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य जांच को तथ्य का प्रश्न बनाना है न कि इस बारे में अनियंत्रित विवेकाधिकार का कि क्या किसी विशेष मामले में, न्यायालय को देरी को माफ करना चाहिए।सिद्धांत/सिद्धांत-चेरी पिकिंग सिद्धांत-चयनात्मक प्रकटीकरण को कानून में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह चेरी-पिकिंग के बराबर है।आपराधिक कानून-कानूनी सलाह विशेषाधिकार और मुकदमेबाजी विशेषाधिकार के बीच का अंतर-चर्चा की गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.

733

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ए

ए.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** एक नियामक है और इसका कर्तव्य है कि वह कार्यवाही करते समय या पक्षों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करे।एक अर्ध**-**न्यायिक निकाय होने के नाते**,** एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** का संवैधानिक अधिदेश कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करना है।एक नियामक की भूमिका शिकायतों और पक्षों से निष्पक्ष तरीके से निपटना है**,** न कि सफल दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए कानून के शासन को दरकिनार करना।सार्वजनिक सहयोग और सम्मान के रूप में निष्पक्षता दिखाने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नियामकों पर है।**[**पैरा **42] [751-**सी**-**डी**]**

बी.

1.2 एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है**,** जिसमें किसी पक्ष को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसकी निंदा नहीं की जा सकती है।**[**पैरा **43] [751-**डी**-**ई**]**

सी.

2. अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रकटीकरण की मांग करने के लिए टाकानो मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करने के लिए दबाव डाला है।दूसरी ओर**,** प्रत्यर्थियों ने यह कहते हुए वर्तमान मामले को अलग करने की कोशिश की है कि वर्तमान मामला प्रकटीकरण का नहीं है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(**प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध**)** विनियम**, 2003** के तहत एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** द्वारा जांच के दौरान मांगा जा रहा है।यद्यपि न्यायालय उत्तरदाताओं से सहमत है कि तकानो मामला उपरोक्त विनियमों के तहत प्रस्तुत किया गया था**,** तथापि न्यायालय की राय थी कि इस न्यायालय का तर्क एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** की ओर से प्रकटीकरण के सामान्य दायित्व की ओर इशारा करता है। इस न्यायालय ने ताकानो मामले में अभिनिर्धारित किया है कि सूचना के प्रकटीकरण के तीन मौलिक उद्देश्य हैं **(i)** विश्वसनीयता**,** अर्थात**,** न्यायालय अपने कार्य को तभी सही ढंग से कर पाएगा जब दोनों पक्षों के पास सूचना तक पहुंच होगी और उनके पास दलीलों और जवाबी दलीलों को संबोधित करने का अवसर होगा**; (ii)** निष्पक्ष सुनवाई**,** यानी**,** यह पक्षों को कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाएगी**;** और **(iii)** पारदर्शिता और जवाबदेही**,** यानी**,** जांच एजेंसियों को पारदर्शिता के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाता है न कि अपारदर्शिता के माध्यम से।**[**पैरा **44] [752-**बी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. अपीलार्थी की विवादित कार्रवाई वर्ष **1994** की है और इसके बिना लगभग तीन दशक बीत चुके हैं।

एच.

सुरंग के अंत में कोई भी प्रकाश होना।**2005** में एस**.** ई**.** बी**.** आई**.** की जांच रिपोर्ट कथित अपराध के बारे में अनिर्णायक थी।यहां तक कि भारत संघ के निगमित मामलों के मंत्री द्वारा एक

विज्ञप्ति भी है जिसमें मामले को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि उन्हें कंपनी अधिनियम, **1956** की धारा **77** के तहत अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है।इस संदर्भ में, अपीलार्थी को आवश्यक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जारी करके अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना आपराधिक शिकायत शुरू करने की एस. ई. बी. आई. की कार्रवाई की इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जा सकती क्योंकि यह अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का घोर उल्लंघन है।**[**पैरा **45] [764-**बी-डी**]**

बी.

सी.

4. भारतीय स्थिति इंग्लैंड से अलग प्रतीत होती है।साक्ष्य अधिनियम की धारा **126** से **129** प्रतिकूल और खोजी मुकदमेबाजी के बीच कोई अंतर नहीं करती है, और विशेषाधिकार पूरे समय लागू होता है।यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में बड़े पैमाने पर कानूनी पेशे की नींव को छूता है।यह न्यायालय इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अलग है और निम्नलिखित कारणों से ऐसा कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं होता हैः

डी.

आई. जाँच रिपोर्ट अनिर्णायक थी, जैसा कि स्वयं एस. ई. बी. आई. ने स्वीकार किया था।

ई.

ii.एस. ई. बी. आई. द्वारा इस मुद्दे को किसी विशेषज्ञ के पास भेजने के बजाय, वह स्वयं आगे की जांच की कवायद शुरू कर सकता था, जो नहीं की गई।

iii.केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहली राय के कारण ही एस. ई. बी. आई. ने अंततः आगे के कदम उठाए।

एफ.

iv.सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहली राय जांच और उससे जुड़े दस्तावेजों का एक हिस्सा है।

v. इसके अलावा, कुछ दस्तावेजों का खुलासा पहले ही अपीलार्थी को किया जा चुका है। **[**पैरा **53] [757-**ए-ई**]**

5. इस मामले में सरल परीक्षा यह है कि क्या एस. ई. बी. आई. ने अकेले जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन शुरू किया है।अपने जवाब में एस. ई. बी. आई. की खुद की स्वीकारोक्ति से इसका जवाब 'नहीं' प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि जांच रिपोर्ट अनिर्णायक थी और इसलिए विशेषज्ञों द्वारा लेनदेन की आगे की जांच ए.

जी.

एच.

पुकारा।मामला होने के नाते, आगे की रिपोर्ट और राय, चाहे वह किसी से भी हो, केवल एक नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. को तथ्यों का पता लगाने और अभियोजन के लिए या अन्यथा निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करने के लिए जांच का एक विस्तार है।**[**पैरा **54] [757-**ई**-**एफ**]**

6. यह न्यायालय एस. ई. बी. आई. के वरिष्ठ वकील के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहली राय साक्ष्य अधिनियम की धारा **129** के तहत 'कानूनी विशेषाधिकार' के दायरे में आती है। यही मामला सेवानिवृत्त न्यायाधीश की दूसरी राय और चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट के मामले में भी है, जो अपराध निर्धारण के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा किए गए तथ्य-खोज अभ्यास की निरंतरता के अलावा और कुछ नहीं है।**[**पैरा **55] [757-**एफ-एच**]**

बी.

सी.

7. एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का वर्तमान सेट सामने आया है, जिसमें प्रक्रियाएं सख्ती से सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। उनका कहना है कि सी. आर. पी. सी. के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का चरण धारा **207** और **208** के तहत प्रदान किया गया है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद होता है।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्हें ऊपर जोड़ा गया है, न्यायालय की दृढ़ राय थी कि एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया गया बचाव कि उन्हें इस स्तर पर किसी भी दस्तावेज का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा अनुरोध सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में पूर्व-परिपक्व है, को कायम नहीं रखा जा सकता है।**[**पैरा **56] [757-**एच**; 758-**ई**]**

डी.

ई.

8. इस मामले का एक और परेशान करने वाला पहलू जो सामने आता है, वह है **SEBI** का उन दस्तावेजों को चुनने का प्रयास, जिनका खुलासा करने का उसका प्रस्ताव है।इस तथ्य के बारे में विवाद है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की राय के कुछ अंशों का खुलासा अपीलार्थी को किया गया था।अपीलार्थी का यह आरोप है कि जिन भागों का खुलासा किया गया था, वे अस्पष्ट रूप से अपीलार्थी की दोषसिद्धि की ओर इशारा करते हैं, लेकिन एस. ई. बी. आई. ऐसी जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर रहा है जो उसे दोषमुक्त करती है।एस. ई. बी.

आई. द्वारा इस तरह की चेरी-पिकिंग केवल एक निष्पक्ष मुकदमे के प्रति प्रतिबद्धता का अपमान करती है।हाथ में मामले में, एस. ई. बी. आई. दस्तावेजों के कुछ हिस्सों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता था और साथ ही, कुछ हिस्से का खुलासा करने के लिए सहमत हो सकता था।इस तरह के चयनात्मक प्रकटीकरण को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से चेरी-पिकिंग के बराबर है।**[**पारस **57** और **58] [758-**एफ-जी**; 759-**सी**]**

एफ.

जी.

एच.

736 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

9.न्यायालय वर्तमान अपील को अनुमति देता है और प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश देता है:-

(i) सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पहली राय **(ii)** चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट

बी.

((ग**)** सेवानिवृत्त न्यायाधीश की दूसरी राय।**[**पैरा **59] [759-**डी**]**

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एसके शर्मा **(1996) 3** एससीसी **364:[1996] 3** एस. सी. आर. **972;** टी. ताकानो बनाम प्रतिभूति और

एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2022

(3) स्केल **585;** एस. पी. वेलुमनी बनाम अराप्पोर इयक्कम

सी.

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **663-**पर निर्भर था।

तीन नदियों की जिला परिषद और अन्य (उत्तरदाता) बनाम बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और कंपनी

(अपीलार्थी) [2004] यूकेएचएल 48; इन रे के (शिशु) [1965]

ए. सी.; आर. ई. (एस. ए.) (एक माइनर) (वार्डशिप:कोर्ट ड्यूटी) [1984] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 156; नी आर्टेरिया मैरीटाइम कंपनी लिमिटेड बनाम अटलांटिक और ग्रेट लेक्स स्टीमशिप कॉर्पोरेशन [1981]

डी.

139 पर कॉम एल**.** आर**. 138-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

ई.

[1996] 3 एससीआर **972**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **43**

2022 (3) स्केल **585**

पैरा **21** पर निर्भर

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1167।

2020 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 209 में 2021 के आपराधिक अंतरिम आवेदन संख्या 1945 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 28.03.2022 से।

एफ.

हरीश एन. साल्वे, के. वी. विश्वनाथन, अमित देसाई, वरिष्ठ अधिवक्तागण , के. आर. शशिप्रभु, रोहन शाह, राघव शंकर, अमेय नाबर, गोपालकृष्ण शेनॉय, सुश्री दृष्टि आर. विष्णु शर्मा ए. एस., वेंकटरमण, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सूरज चौधरी, धवल मेहरोत्रा, सुधांशु सिक्का मेसर्स के. अशर एंड कंपनी के लिए, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

737

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन**.** वी**.** रमना**,** मुख्य न्यायाधीश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2020 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 209 में 2021 के आपराधिक अंतरिम आवेदन संख्या 1945 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.03.2022 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

बी.

3. इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्री एस. गुरुमूर्ति ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी सहयोगी कंपनियों और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धोखाधड़ी से आरआईएल के 12 करोड़ इक्विटी शेयर आरआईएल के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित किए थे, जिन्हें 1994 में आरआईएल और अन्य समूह कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था।यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 का उल्लंघन किया था।उपरोक्त शिकायत के आधार पर, एस. ई. बी. आई. ने उपरोक्त शिकायत की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। तदनुसार, उक्त जाँच अधिकारी द्वारा 04.02.2005 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

सी.

डी.

4. यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि एस. ई. बी. आई. ने उपरोक्त पत्र के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि SEBI के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा 17.05.2006 पर एक नोट तैयार किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि रिपोर्ट में RIL द्वारा किसी भी कानूनी प्रावधान का कोई विशिष्ट उल्लंघन नहीं किया गया था। हालाँकि, नोट में कहा गया था कि आर. आई. एल. के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की संभावना पर अन्य बातों के साथ-साथ एक बाहरी विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इसके लिए बी. एन. श्रीकृष्णा से एस. ई. बी. आई. ने संपर्क किया था। अपीलार्थी कअपीलार्थी हअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ृअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी ीअपीलार्थी शअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी पअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी हअपीलार्थी लअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी S अपीलार्थी E अपीलार्थी B अपीलार्थी I अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी थअपीलार्थी ीअपीलार्थी ,अपीलार्थी

अपीलार्थी जअपीलार्थी िअपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी S अपीलार्थी E अपीलार्थी B अपीलार्थी I अपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ुअपीलार्थी छअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी सअपीलार्थी ्अपीलार्थी सअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी कअपीलार्थी टअपीलार्थी विद्वान अपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी थअपीलार्थी ाअपीलार्थी ।अपीलार्थी 5. आई. डी. 1 पर, एस. ई. बी. आई. ने आर. आई. एल. को एक पत्र भेजा जिसमें आरोप लगाया गया कि आर. आई. एल. ने 38 संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए वित्त पोषित किया था और इस तरह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 (2) का उल्लंघन किया और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 1995 के विनियम 3,5 और 6 का उल्लंघन किया।आर. आई. एल. ने जवाब में, दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध करते हुए और जमा करने के लिए एस. ई. बी. आई. को कई पत्र भेजे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे की निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि लेन-देन लागू कानून के अनुरूप था।

6. किसी भी मामले में, एस. ई. बी. आई. के न्यायनिर्णायक अधिकारी ने आर. आई. एल. के प्रवर्तकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया) नियम, 1995 के नियम 4 के तहत एस. ई. बी. आई. अधिग्रहण विनियमों (जैसा कि तब था) के विनियम 11 (1) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया।7. अभिलेखों से यह पता चलता है कि निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 का एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया

गया था कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 के तहत प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था।

बी.

सी.

8. जब मामला इस तरह खड़ा हुआ, तो आर. आई. एल. ने अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कई साल पहले हुए उपरोक्त मुद्दे को शांत करने के लिए, एस. ई. बी. आई. के समक्ष एक निपटान आवेदन दायर किया।

डी.

9. किसी भी मामले में, SEBI ने 23.04.2014 दिनांकित एक पत्र जारी किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के अनुरोध का जवाब निम्नलिखित तरीके से दिया गया हैः

ई.

"उक्त पत्र के पैराग्राफ 5 (ए) से (डी) में मांगे गए दस्तावेजों/जानकारी के संबंध में, एस. ई. बी. आई. का जवाब इस प्रकार हैः

1. अनुरोध 5 (ए):11 जून, 2009 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से प्राप्त राय की प्रति प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि यह विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय प्रकृति की है।

एफ.

2. अनुरोध 5 (बी):राय प्राप्त करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रदान की गई राय के लिए मामले की एक प्रति संलग्न है।3. अनुरोध 5 (ग):कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी, 2012 और 1 सितंबर, 2011 को भेजे गए 18 जुलाई, 2011 के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

जी.

4. अनुरोध 5 (घ):एस. ई. बी. आई. के कानूनी विभाग की 6 अप्रैल, 2006,11 जून, 2009 और 25 अगस्त, 2010 की प्रासंगिक राय/विचारों की एक प्रति संलग्न है।"

एच.

739

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

10. यह रिकॉर्ड की बात है कि वर्ष 2017-18 में, SEBI ने इस मुद्दे की फिर से जांच करने का फैसला किया और तदनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) से सलाह मांगी। बी. एन. श्रीकृष्ण दूसरी बार।न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा ने निम्नलिखित तरीके से एस. ई. बी. आई. को एक पत्र लिखाः

"इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि इस मामले में किसी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से परामर्श किया जाना चाहिए।मेरा सुझाव है कि एस. ई. बी. आई. श्री वाई. एच. मालेगाम, चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क करे, जिनसे इस मामले में परामर्श किया जा सकता है।वे एक उच्च पदस्थ और महान प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।मेरी राय में, वह हमें यह सलाह देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे कि क्या आर. यू. पी. एल. और आर. पी. टी. एल. को हस्तांतरित धन परियोजना अग्रिम और अन्य शुल्कों के लिए था या केवल राउंड ट्रिपिंग था।

बी.

सी.

आप एक वरिष्ठ व्यक्ति को उससे मिलने और उसके साथ तथ्यों पर चर्चा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।यह उसे मामले में विचार करने और आपको एक रिपोर्ट देने में सक्षम बनाएगा।श्री मालेगाम की रिपोर्ट मिलने के बाद, आप मेरे साथ इस मामले पर आगे चर्चा कर सकते हैं।"

डी.

11. अपीलार्थी द्वारा कहा गया है कि श्री वाई. एच. मालेगाम, चार्टर्ड एकाउंटेंट ने आर. आई. एल. और विभिन्न अन्य कंपनियों के अभिलेखों की जांच की और अपनी रिपोर्ट एस. ई. बी. आई. को प्रस्तुत की।

ई.

12. श्री वाई. एच. मालेगाम की रिपोर्ट के आधार पर, दूसरी बार विद्वान सेवानिवृत्त न्यायाधीश से राय मांगी गई थी।

13. 21.01.2019 पर, अपीलार्थी ने निम्नलिखित तरीके से लंबित निपटान आवेदन के संबंध में आगे की सामग्री की मांग करते हुए एस. ई. बी. आई. को एक पत्र लिखाः

एफ.

"तदनुसार, हम एस. ई. बी. आई. से अनुरोध करते हैं कि वह हमें विषय निपटान के संबंध में निरीक्षण और निम्नलिखित की प्रतियां प्रदान करेः

(क) एस. ई. बी. आई. द्वारा एकत्र की गई आगे की सभी सामग्री; (ख) आगे की आंतरिक रिपोर्ट और टिप्पणियाँ;

जी.

(ग) श्री वाई. एच. मालेगाम की रिपोर्ट सहित बाहरी विशेषज्ञों की रिपोर्ट, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा प्राप्त होने के रूप में की गई थी;

(घ) एस. ई. बी. आई. द्वारा प्राप्त राय और राय के लिए कोई और मामला।

एच.

14. जवाब में, एस. ई. बी. आई. ने निम्नलिखित तरीके से दस्तावेजों के प्रकटीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दियाः

"उक्त रिपोर्ट के लिए आपके अनुरोध के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट या अन्य सामग्री जो मांगी गई है, उसे लंबित निपटान कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया गया है।इसके अलावा, आपका ध्यान एस. ई. बी. आई. (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 के विनियम 13 (2) (ए) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः

बी.

"(क) आवेदक के कब्जे में या आवेदक द्वारा प्राप्त करने योग्य कथित चूक (ओं) से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, दस्तावेज आदि के लिए कॉल करें;

सी.

स्पष्टीकरण-इन विनियमों में कुछ भी आवेदक को बोर्ड से जानकारी लेने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा या बोर्ड से समझौता कार्यवाही में उस पर भरोसा करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी या बोर्ड से अनुरोध करेगा कि वह उसे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दे जो आवेदक में पहले से ही निपटाई नहीं गई है, [अवैध] आवेदक जिसे हम आवेदन करते समय जानते हैं या जो जानकारी मेहनती पूछताछ के बाद आवेदक को पता चल सकती है।" उसी को ध्यान में रखते हुए, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि उक्त रिपोर्ट और अन्य सामग्री के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।"15. एस. ई. बी. आई. के उपरोक्त संचार से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने लिखित याचिका (एल. ओ. डी. जी.) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी। 2019 की संख्या 300।उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.02.2019 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त याचिका को खारिज कर दिया।यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि एस. ई. बी. आई. ने अपीलार्थी द्वारा दायर पूरक आवेदन को भी खारिज कर दिया है।

डी.

ई.

एफ.

16. आई. डी. 1 पर, एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. के विशेष न्यायाधीश, मुंबई की न्यायालय में एक शिकायत दायर की जिसमें निम्नानुसार प्रार्थना की गईः

"(क) कि यह माननीय न्यायालय अभियुक्तों के विरुद्ध, यथा 2002 में संशोधित, एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 24 (1) आर/डब्ल्यू धारा 27 के तहत दंडनीय निरंतर अपराधों के लिए, एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) विनियम 1995 के विनियम 3,5 और 6, एस. ई. बी. आई. (एस. ए. एस. टी.) विनियम, 1997 के विनियम 11 का उल्लंघन करने के लिए प्रक्रिया जारी कर सकता है और आगे अभियुक्तों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

जी.

एच.

741

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

(ख) कि यह माननीय न्यायालय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 55 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता है।"

17. आई. डी. 1 पर, एस. ई. बी. आई. की विशेष न्यायालय ने एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर शिकायत को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया।

बी.

18. उपरोक्त आदेश को एस. ई. बी. आई. द्वारा 2020 के आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 209 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।उपरोक्त कार्यवाही में, अपीलार्थी ने 2021 की आई. ए. संख्या 1945 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग की गईः

((i) श्री की रिपोर्ट। वाई. एच. मालेगाम, चार्टर्ड एकाउंटेंट।

सी.

((ii) माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की आगे की लिखित राय प्राप्त करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा तैयार की गई राय/राय के लिए संक्षिप्त विवरण। बी. एन. श्रीकृष्ण।

(iii) माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) द्वारा जारी संशोधित लिखित राय। बी. एन. श्रीकृष्ण।

डी.

19. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन पर व्यापक रूप से दलीलें सुनने के बाद 28.03.2022 पर निम्नलिखित तरीके से विवादित आदेश पारित कियाः

"5. इस स्तर पर, अंतरिम आवेदन में मांगी गई प्रार्थना पर मुख्य संशोधन आवेदन को सुने बिना विचार नहीं किया जा सकता है।यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-एस. ई. बी. आई. अर्थात पुनरीक्षण आवेदन में मूल आवेदक ने उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदन दायर विद्वान है जिसमें एस. ई. बी. आई. विशेष न्यायाधीश, सिटी सिविल एंड सेशन न्यायालय, ग्रेटर बॉम्बे द्वारा पारित 30 सितंबर, 2020 के विवादित आदेश को रद्द करने और रद्द करने की मांग की गई है।2020 का आवेदन संख्या 686, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीश ने 2020 का विविध आवेदन संख्या 686 (शिकायत) को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सीमा द्वारा वर्जित था।इसलिए, संशोधन आवेदन में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर की गई शिकायत को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था या नहीं।

ई.

एफ.

जी.

6. ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, अंतरिम आवेदन पर अगली तारीख को मुख्य संशोधन आवेदन के साथ सुनवाई करनी होगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अंतरिम आवेदन में पक्षों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं, जिसमें रखरखाव का सवाल भी शामिल है।"

एच.

20. उपरोक्त आदेश से व्यथित, अपीलार्थी-आर. आई. एल. ने वर्तमान अपील दायर की है।

21. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे तर्क देते हैंः

आई. कि वर्तमान अपील की स्थिरता के लिए चुनौती गलत धारणा है।उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की मांग के लिए दायर अंतरिम आवेदन पर उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तार से बहस की गई, जिस पर अंततः विचार नहीं किया गया।

बी.

ii.कि एक नियामक होने के नाते, एस. ई. बी. आई. का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 21 के अनुसार दस्तावेजों का खुलासा करे।इस संवैधानिक जनादेश को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे लागू किया गया है

सी.

टी. ताकानो बनाम प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में SEBI

भारत**, 2022** एससीसी ऑनलाइन एससी **210**

iii.एस. ई. बी. आई. मुकदमेबाजी के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि कार्यवाही प्रतिकूल प्रकृति की नहीं होती है।

डी.

iv.कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) द्वारा राय के अंशों का चयनात्मक प्रकटीकरण। बी. एन. श्रीकृष्णा, एस. ई. बी. आई. द्वारा चेरी पिकिंग के बराबर है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण दस्तावेज का हकदार है।

v. कि रिपोर्ट के अंशों का खुलासा करने की एस. ई. बी. आई. की कार्रवाई स्पष्ट रूप से एस. ई. बी. आई. द्वारा दावा किए गए मुकदमेबाजी विशेषाधिकार की छूट के बराबर है।

ई.

22. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार तर्क देते हैंः

आई. कि वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है क्योंकि इस तिथि तक कोई आपराधिक शिकायत लंबित नहीं है।अपीलार्थी सीमाक आधार पर शिकायत खारिज करबाक विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षणमे दस्तावेज नहि मांग सकैत अछि।

एफ.

ii.उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा सीमा के मुद्दे तक सीमित था और अभियुक्त द्वारा दस्तावेजों की मांग के लिए कार्यवाही का विस्तार करने के प्रयास पर विचार नहीं किया जा सकता है।iii. कि विवादित आदेश केवल एक स्थगन आदेश था जिसने अभियुक्त के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं किया है।इसलिए, इस तरह के स्थगन आदेश के खिलाफ अपील विचारणीय नहीं है।

जी.

एच.

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

iv.टी. ताकानो बनाम प्रतिभूति में निर्धारित कानून और

भारतीय विनिमय बोर्ड, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 210, वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि इसे विभिन्न विनियमों के तहत जांच के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था।

v. दस्तावेजों की मांग समय से पहले की जा रही है।यदि निचली न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के संदर्भ में दस्तावेजों का हकदार होगा। सी. आर. पी. सी. की धारा 207 के दायरे से परे दस्तावेजों की मांग करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

vi.सेवानिवृत्त की राय।न्यायाधीश और चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में मुकदमेबाजी विशेषाधिकार के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह की राय किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने का विषय नहीं हो सकती है।

सी.

23. पक्षकारों को विस्तार से सुनने और अभिलेखों को पढ़ने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

डी.

आई. क्या यह अपील विचारणीय है?

ii.क्या एस. ई. बी. आई. को कार्यवाही के वर्तमान सेट में दस्तावेजों का खुलासा करने की आवश्यकता है?

मुद्दा I

24. शुरुआत में, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने दो आधारों पर वर्तमान अपील की स्थिरता को चुनौती दी है, अर्थात्ः(1) कि आक्षेपित आदेश केवल एक स्थगन आदेश है जिसके खिलाफ इस न्यायालय को अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए; (2) कि दस्तावेज़ प्रकटीकरण की मांग करने के लिए कोई आपराधिक शिकायत मौजूद नहीं है क्योंकि निचली अदालत ने पहले ही देरी के आधार पर एस. ई. बी. आई. की शिकायत को खारिज कर दिया था।इसके विपरीत, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने विद्वान है कि आवेदन पर दो से अधिक मौकों पर पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले को स्थगित करना उचित नहीं था।

ई.

एफ.

25. वर्तमान विवाद कुछ तथ्यों से संबंधित है जो 1992-1994 में हुए थे, जब वर्ष 2002 में SEBI के समक्ष प्रारंभिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे कथित तौर पर SEBI के कानूनी मामलों के विभाग के दिनांक 17.05.2006 के नोट द्वारा बंद किया गया है।इसके अलावा, निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 1 के पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 का कोई उल्लंघन निम्नलिखित तरीके से नहीं किया गया थाः

जी.

एच.

4. आरओसी द्वारा आगे बताया गया है कि शेयरों के तरजीही आवंटन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 (1ए) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।इसके अलावा, संबंधित समय पर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के संबंध में प्रीमियम के मूल्यांकन या निर्धारण के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं थे।प्रीमियम का निर्धारण कंपनी के अधिकार के भीतर धारा 81 (1ए) के अनुपालन के अधीन था जो कि किया गया प्रतीत होता है।

बी.

5.एम. सी. ए. ने 2002 में मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेखा पुस्तकों का निरीक्षण किया था और निरीक्षण रिपोर्ट में बताए गए विभिन्न उल्लंघनों के लिए, उपरोक्त पैरा 2 और 3 में बताए अनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।

सी.

6. 2002 की निरीक्षण रिपोर्ट में भी इस प्रकार का खुलासा हुआः-i.) कंपनी द्वारा सोमनाथ सिंडिकेट में निवेश किए गए धन के संबंध में अधिनियम की धारा 77 का प्रावधान आकर्षित नहीं किया गया था, एक साझेदारी फर्म जिसमें कंपनी एक भागीदार है;

डी.

(ii.)आर. आई. एल. द्वारा 34 संस्थाओं को कोई धनराशि नहीं दी गई थी जिन्हें एन. सी. डी. आवंटित किए गए थे।

iii.)अंबानी न तो निदेशक थे और न ही उन संस्थाओं के शेयरधारक जिन्हें शेयर आवंटित किए गए थे।

ई.

iv.)पी. पी. डी.-IV निर्गम के अनुसार अंबानी को कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया था।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम मामलों के मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

(बल गया)

एफ.

इस संदर्भ में, अभियुक्त को अपने मामले का पूरी तरह से बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही एस. ई. बी. आई. द्वारा शिकायत की फिर से जांच होनी चाहिए।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2020 की एम. ए. संख्या 686 में एस. ई. बी. आई. की विशेष न्यायालय ने सीमा के आधार पर एस. ई. बी. आई. की शिकायत को खारिज कर दिया है।इस तरह के आदेश के खिलाफ, एस. ई. बी. आई. ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 209 के रूप में एक आपराधिक संशोधन दायर किया है जो लंबित है।इस आपराधिक संशोधन याचिका के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि एस. ई. बी. आई. ने निम्नलिखित अनुरोध किया हैः

जी.

एच.

745

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

(क) यह माननीय न्यायालय 30 सितंबर, 2020 के विवादित आदेश को निरस्त और निर्धारित करता है और एल. डी. को निर्देश देता है।

अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए विशेष न्यायालय का न्यायाधीश।(जोर दिया गया)

दिलचस्प बात यह है कि एस. ई. बी. आई. ने पुनरीक्षण याचिका को देरी की माफी या सीमा की अप्रयोज्यता के आधार तक सीमित नहीं किया है क्योंकि अपराध प्रकृति में जारी हैं, बल्कि एस. ई. बी. आई. ने गुण-दोष के आधार पर मामले का अनुरोध किया है।यह गुण-दोष के आधार पर एस. ई. बी. आई. द्वारा दिए गए निम्नलिखित आधारों से स्पष्ट हैः

बी.

एफ. द एलडी। न्यायाधीश ने यह समझते हुए गलती की कि बोनस शेयरों के आवंटन सहित आवंटन धोखाधड़ी थी क्योंकि यह बिना किसी अधिकार के जारी किया गया था और कंपनी अधिनियम सहित प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन था। जब अलग किए जाने योग्य वारंटों के साथ एन. सी. डी. का वास्तविक निर्गम और आवंटन और उसके बाद वारंटों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना ए. जी. एम. के किसी भी अधिकार के बिना किया गया था, और डिबेंचर-धारक के लाभ के लिए शेयरों का 'बोनस' जारी किया गया था, यानी एक गैर-शेयर-धारक किया गया था और 12 करोड़ शेयरों का कुल निजी प्लेसमेंट किसी भी अधिकार के बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 'नियंत्रण' को मजबूत किया गया था और इसका प्रयोग जारीकर्ता कंपनी के आरोपी निदेशकों के प्रत्ययी कर्तव्य का स्पष्ट उल्लंघन था।

सी.

डी.

ई.

जी. द एल. डी. न्यायाधीश ने यह समझने में विफल रहने में गलती की कि धोखाधड़ी पूर्ण थी और इसमें एक जटिल छल शामिल था, जो लंबे समय तक फैला था।अभियुक्त निदेशक उन उप-समितियों में बैठते थे जो बिना किसी शेयर धारक प्राधिकरण के बातचीत करते थे और निर्धारित करते थे, एन. सी. डी. के आवंटनकर्ताओं को बोनस शेयरों के एक बड़े मुफ्त आवंटन के साथ शेयरों के परिवर्तनीय वारंट के साथ एन. सी. डी. जो अनिवार्य रूप से कागजी कंपनियां और अभियुक्तों की संबंधित कंपनियां थीं और बाद में 2000 में जब एन. सी. डी. से जुड़े वारंटों को शेयरों में परिवर्तित किया गया तो वे सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति (पी. ए. सी.) के रूप में उनके साथ शामिल हो गईं।जब निदेशकों ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू. टी. आई.) के साथ वारंट के साथ एन. सी. डी. की नियुक्ति के लिए बातचीत की, जिसका आवंटन स्टॉक एक्सचेंज में बताए गए प्रस्ताव 13 के अनुसार किया गया है, तो यू. टी. आई. को ऐसा कोई 'मुफ्त' बोनस नहीं दिया गया था। हालाँकि, इस सब पर एल. डी. द्वारा विचार नहीं किया गया था। न्यायाधीश जो इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि निदेशक

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त आबंटियों को एक रूपांतरण मूल्य भी दिया गया जो यू. टी. आई. को दिए गए रूपांतरण मूल्य से बहुत कम था।

...

...

पी. द एल. डी. न्यायाधीश ने फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात की सराहना करने में विफल रहने में गलती की और एक अन्य, (2013) 14 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 44 जिसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शिकायत के स्तर पर, मजिस्ट्रेट केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित है और उसे केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट करना है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।वर्तमान मामले के तथ्यों में एल. डी. के लिए पर्याप्त से अधिक आधार थे। न्यायाधीश प्रथम दृष्टया अपराध से संतुष्ट हों और मामले में प्रक्रिया जारी करें।

बी.

सी.

...

डी.

...

डब्ल्यू. द एल. डी. न्यायाधीश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि 38 कंपनियों को शामिल करने और लेन-देन के पूर्व नियोजित और पूर्व निर्धारित क्रम में धन के प्रवाह के कुटिल तरीके को ध्यान में रखते हुए धारा 473 के तहत न्याय के हित में अपराधों का संज्ञान लेना आवश्यक था।यदि इस तरह के गंभीर अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो यह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।यह न्याय के हित में है कि लाखों शेयरधारकों वाले बड़े समूहों को कानून का खुलेआम उल्लंघन करने और अभियोजन से बचने की अनुमति नहीं है।

ई.

एफ.

27. देरी के मुद्दे पर आते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ एस. ई. बी. आई. का तर्क है कि न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए देरी को माफ करने के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 473 पर विचार करना चाहिए था।इस मोड़ पर, सी. आर. पी. सी. की धारा 473 को उद्धृत करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार हैः

जी.

“473. कुछ मामलों में सीमा की अवधि का विस्तार।-

इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी न्यायालय सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह तथ्यों पर संतुष्ट है

एच.

747

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

और मामले की परिस्थितियों में कि देरी को ठीक से समझाया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।”

उपरोक्त प्रावधान यह कहने में स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत निर्धारित किसी भी सीमा की अनदेखी की जा सकती है यदि न्याय के हित में व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त कारण बनाया जाता है।उक्त प्रावधान, आपराधिक अभियोजन शुरू करने में सार्वजनिक हित को संतुलित करने की कोशिश करते हुए, व्यक्तिगत मामले की विशिष्टताओं तक सीमित कर दिया गया है, जबकि न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है।न्यायालय में निहित ऐसा विवेकाधिकार एक सैद्धांतिक अभ्यास होना चाहिए, जिसमें चित्रित तथ्य और परिस्थितियाँ इस तरह के अभ्यास को उचित ठहराती हैं।उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य जांच को तथ्य का प्रश्न बनाना है न कि अनियंत्रित विवेकाधिकार का कि क्या किसी विशेष मामले में, न्यायालय को देरी को माफ करना चाहिए।

बी.

सी.

28. यह इस संदर्भ में है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के संदर्भ में देरी को माफ करने के पहलू पर विचार करने से पहले मामले को शुरू करने के तरीके और अन्य कारकों से संबंधित वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए बाध्य है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन के निर्णय को स्थगित करने के उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती है।आदर्श रूप से, उच्च न्यायालय को सीमा पहलू पर विचार करने से पहले अंतरिम आवेदन पर विचार करना चाहिए था।29. वाणिज्यिक लेन-देन में आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत बहुत सावधानी के साथ की जानी चाहिए और अदालतों को इसके लिए द्वारपाल के रूप में कार्य करना चाहिए।बड़े निगमों के खिलाफ तुच्छ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से लंबे समय में देश के लिए प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे।

इसलिए, नियामक को इस तरह की कार्रवाई शुरू करने में सतर्क रहना चाहिए और प्रत्येक कारक को सावधानीपूर्वक तौलना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

30. सामान्य तौर पर, इस न्यायालय ने इस तरह के प्रकटीकरण की मांग करने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर मामले को उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया होगा। हालाँकि, आपराधिक न्यायशास्त्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए इस न्यायालय के समक्ष तर्कों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया है, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।इसके अलावा, ऊपर बताए गए तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जिन कृत्यों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है, वे वर्ष 1992-1994 के हैं, और मुकदमेबाजी का कोई अंत हुए बिना तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है।इस संबंध में, न्यायालय इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का इरादा रखता है कि निर्णय में अनावश्यक रूप से अनंत काल तक देरी न हो।

जी.

एच.

मुद्दा **II**

31. यह हमें इस मुद्दे पर लाता है कि क्या अपीलार्थी द्वारा यहां दायर किए गए दस्तावेजों की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन को तत्काल मामले में अनुमति दी जानी चाहिए।उत्तरदाताओं ने दो मामलों में इस तरह के प्रकटीकरण पर आपत्ति जताई हैः

बी.

आई. कि इस तरह के अनुरोध को उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर एक पूर्व रिट याचिका में पहले ही खारिज कर दिया गया था, जब निपटान की कार्यवाही चल रही थी;

ii.कि प्रतिवादी न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की दोनों रायों के विपरीत कानूनी विशेषाधिकार का दावा करते हैं। बी. एन. श्रीकृष्णा और चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट। एस. वाई. एच. मालेगम।

सी.

32. पहली आपत्ति पर आते हुए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी (नियामक) ने जाँच के निष्कर्षों को व्यक्त करते हुए 16.04.2010 दिनांकित एक पत्र जारी

किया था।इसे आगे बढ़ाते हुए, अपीलार्थी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए इस मुद्दे को निपटाने की कोशिश की थी कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका था।

डी.

33. निपटान कार्यवाही के दौरान, एस. ई. बी. आई. ने एस. वाई. एच. मालेगाम, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की सलाह पर चार्टर्ड एकाउंटेंट बी. एन. श्रीकृष्ण।तदनुसार, माना जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट ने एस. ई. बी. आई. को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी। निपटान कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी ने 21.01.2019 दिनांकित एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने उपरोक्त दस्तावेजों की मांग की।इसके जवाब में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 (इसके बाद 'निपटान विनियम') की धारा 13 (2) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, एस. ई. बी. आई. ने आई. डी. 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से अनुरोध को खारिज कर दिया।

ई.

एफ.

34. उपरोक्त दिनांकित 28.01.2019 पत्र, अपीलार्थी द्वारा डब्ल्यू. पी. में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया था। (लॉज।) 2019 की संख्या 300।उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.02.2019 के अंतिम आदेश द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए कहाः

“10. एस. ई. बी. आई. की आंतरिक समिति इस मामले पर विचार कर रही है।कार्यवाही के दौरान, याची द्वारा श्री मालेगाम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सहित कुछ दस्तावेजों की प्रतियां मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया गया।विनियमन के प्रावधान

जी.

13(2)((क**)** स्पष्ट है।ये विनियम याची को उक्त रिपोर्ट की प्रति मांगने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।मामले के उस दृष्टिकोण में**,** निष्पक्षता के सिद्धांतों का मुद्दा ए

एच.

आंतरिक समिति के समक्ष कार्यवाही के उद्देश्य और उच्च शक्ति समिति की शक्तियों और इसमें बनाए गए विनियमों पर विचार करते हुए इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होता है।

इस संबंध में।विनियमों के तहत याची को ऐसी प्रति मांगने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तथ्यों में, हम अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त नहीं हैं।

बी.

जैसे ही और जब न्यायनिर्णायक कार्यवाही होती है, याची कार्यवाही के संचालन के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां या प्रतियां मांग सकता है।"

(बल दिया गया)

सी.

हम केवल इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय निपटान विनियमों के विनियम 13 (2) के तहत निपटान कार्यवाही के दौरान किए गए विशिष्ट अनुरोधों पर विचार कर रहा था। निपटान विनियमों के विनियम 13 (2) (ए) में संलग्न स्पष्टीकरण को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि निपटान कार्यवाही का उद्देश्य नियामक को कुछ मामलों में निपटान की व्यवहार्यता पर विचार करने में सुविधा प्रदान करना है, बिना किसी भटकने और मछली पकड़ने के अभियान की अनुमति दिए।हालाँकि, उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का एस. ई. बी. आई. के लिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे चरण में हैं जब एस. ई. बी. आई. ने अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक कानून के तहत प्रावधानों को लागू किया है।

डी.

ई.

35. इस मोड़ पर, एस. ई. बी. आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) विनियम 2018 के विनियम 29 पर निर्भर है, जो इस प्रकार हैः

जानकारी की गोपनीयता।

एफ.

29. (1) प्रस्तुत की गई सभी जानकारी और इन विनियमों के तहत निपटान कार्यवाही के अनुसरण में आयोजित चर्चाओं को प्रत्ययी क्षमता में प्राप्त या किया गया माना जाएगा और इसे जनता के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, अगर वही बोर्ड और/या आवेदक को पूर्वाग्रहित करता है।

2) जहां कोई आवेदन अस्वीकार या वापस लिया जाता है, आवेदक और बोर्ड इन विनियमों के तहत किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण, किए गए किसी भी प्रस्ताव या प्रस्तुत की गई जानकारी या अभ्यावेदन के समक्ष साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं करेंगे या पेश नहीं करेंगेःबशर्ते कि यह उप-विनियमन उन स्थानों पर लागू नहीं होगा जहां इन विनियमों के तहत निपटान आदेश को निरस्त या वापस लिया जाता है।

जी.

स्पष्टीकरण – जब किसी आवेदन के अनुसरण में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य सामने आता है, तो ऐसी जानकारी, चाहे वह स्वीकार करने के बराबर हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है, साबित की जा सकती है।

उपरोक्त प्रावधान पर भरोसा गलत है, क्योंकि समझौता विफल होने की स्थिति में अदालतों/न्यायाधिकरणों के समक्ष आवेदक के प्रस्तावों/अभ्यावेदनों और संबद्ध जानकारी के उपयोग को रोकने के लिए दोनों खंडों की व्याख्या की जानी चाहिए।यह एस. ई. बी. आई. पर लगाए गए प्रकटीकरण दायित्वों से संबंधित नहीं है। किसी भी मामले में, समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्ष अपने सापेक्ष गुणों का आकलन करके एक समझ पर आ जाएं।यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की कार्यवाही में पक्ष पारदर्शी हों, विशेष रूप से एस. ई. बी. आई. जैसे नियामकों के लिए, जिनसे सभी दस्तावेजों को साझा करने की उम्मीद की जाती है, जो इस मुद्दे को समझने के लिए आवश्यक हैं।

बी.

सी.

36. यह रिकॉर्ड की बात है कि बाद में, निपटान की कार्यवाही को एस. ई. बी. आई. द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके बाद एस. ई. बी. आई. ने अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत शुरू करने का फैसला किया है।

डी.

37. इस संदर्भ में, एस. ई. बी. आई. की यह आपत्ति कि दस्तावेजों के प्रकटीकरण का मुद्दा न्यायिक है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे के पहले दौर में इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, कानून की नजर में कायम नहीं की जा सकती है।

ई.

38. यह हमें वर्तमान मामले में दस्तावेज़ प्रकटीकरण की मांग करने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के अधिकार पर लाता है।इस मामले में, अपीलार्थी इन दस्तावेजों के लिए एस. ई. बी. आई. का पीछा कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि एस. ई. बी. आई. द्वारा राय और रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वे एस. ई. बी. आई. के उद्देश्य के प्रतिकूल हैं।

एफ.

39. मामले की पृष्ठभूमि पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि शुरू में, 21.01.2002 पर SEBI को एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपीलार्थी और उसके निदेशक वर्ष 1994 में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के आवंटन में अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल थे।तदनुसार, जाँच प्राधिकरण द्वारा 04.02.2005 पर एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।एस. ई. बी. आई. ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि उपरोक्त रिपोर्ट अनिर्णायक थी और इस संबंध में आगे की जांच की सिफारिश की है।

जी.

40. इसके अनुसरण में, एस. ई. बी. आई. ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) से संपर्क किया। बी. एन. श्रीकृष्ण वर्ष 2009 में।माना जाता है कि उन्होंने अपनी पहली राय दी होगी, ए

एच.

ए

जो इसमें अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आधार बना।यह एस. ई. बी. आई. का मामला है कि निपटान कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी ने कई दस्तावेजों का खुलासा किया था, जिसने एस. ई. बी. आई. को अपने रुख की फिर से जांच करने के लिए अनिवार्य किया था। तदनुसार, मामला न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) को भेजा गया था। बी. एन. श्रीकृष्ण दूसरी बार।

41. इसके बाद, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा ने एस. ई. बी. आई. को पत्र लिखकर उनसे श्री से परामर्श करने के लिए कहा। वाई. एच. मालेगम, अपीलार्थी और विभिन्न निदेशकों की दोषसिद्धि निर्धारित करने के लिए एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट।यह बताया गया है कि इस अभ्यास का समापन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की दूसरी राय में हुआ था। बी. एन. श्रीकृष्ण।

बी.

42. एस. ई. बी. आई. एक नियामक है और इसका कर्तव्य है कि वह कार्यवाही करते समय या पक्षों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करे।एक अर्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते, एस. ई. बी. आई. का संवैधानिक अधिदेश कानून द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करना है।एक नियामक की भूमिका शिकायतों और पक्षों से निष्पक्ष तरीके से निपटना है, न कि सफल दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए कानून के शासन को दरकिनार करना।सार्वजनिक सहयोग और सम्मान के रूप में निष्पक्षता दिखाने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नियामकों पर है।

सी.

डी.

43. एस. ई. बी. आई. द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी पक्ष को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसकी निंदा नहीं की जा सकती है।स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस. के. शर्मा, (1996) 3 एस. सी. सी. 364 में, इस न्यायालय ने दस्तावेज़ प्रकटीकरण और प्राकृतिक न्याय पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“28. ऊपर दिए गए निर्णय एक बात स्पष्ट करते हैं।, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी भी कठोर और तेज़ सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है।जैसा कि रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक [(1949) 1 ऑल ई. आर. 109 में कहा गया हैः65 टी. एल. आर. 225] बहुत पहले 1949 में, इन सिद्धांतों को जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता था।उनकी प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के संदर्भ और तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

ई.

एफ.

(मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त देखें।[(1978) 1

एससीसी 405:(1978) 2 एस. सी. आर. 272]) इसका उद्देश्य उस व्यक्ति के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई, एक निष्पक्ष सौदा सुनिश्चित करना है, जिसके अधिकार प्रभावित होने वाले हैं। (ए. के. रॉय बनाम भारत संघ [(1982) 1 एस. सी. सी. 271:1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 152] और स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ [(1981) 1 एस. सी. सी. 664]।जैसा कि इस न्यायालय ने ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ [(1969) 2 एस. सी. सी. 262] में बताया है, अर्ध-न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच विभाजन रेखा।

जी.

एच.

(एक पार्टी के अधिकारों को प्रभावित करना) काफी कम और लगभग अप्रभेद्य हो गया है-एक तथ्य जिस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भी जोर दिया गया है।

सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल मंत्री

सेवा [(1984) 3 सभी ई. आर. 935:(1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1174:1985 ए. सी. 374, एच. एल.] जहाँ प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को समानार्थी माना जाता था।..."

बी.

44. इस मोड़ पर, अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रकटीकरण की मांग करने के लिए टाकानो मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करने के लिए दबाव डाला है।दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने यह कहते हुए वर्तमान मामले को अलग करने की कोशिश की है कि वर्तमान मामला प्रकटीकरण का नहीं है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के तहत एस. ई. बी. आई. द्वारा जांच के दौरान मांगा जा रहा है।यद्यपि हम उत्तरदाताओं से सहमत हैं कि तकानो मामला (उपरोक्त) उपरोक्त विनियमों के तहत प्रस्तुत किया गया था, तथापि, हमारी राय है कि इस न्यायालय का तर्क SEBI की ओर से प्रकटीकरण के सामान्य दायित्व की ओर इशारा करता है। इस न्यायालय ने ताकानो मामले (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया है कि सूचना के प्रकटीकरण के तीन मौलिक उद्देश्य हैं (i) विश्वसनीयता, अर्थात, न्यायालय अपने कार्य को तभी सही ढंग से कर पाएगा जब दोनों पक्षों के पास सूचना तक पहुंच होगी और उनके पास दलीलों और जवाबी दलीलों को संबोधित करने का अवसर होगा; (ii) निष्पक्ष सुनवाई, यानी, यह पक्षों को कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाएगी; और (iii) पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी, जांच एजेंसियों को पारदर्शिता के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाता है न कि अपारदर्शिता के माध्यम से।निर्णय को प्रभावित करने वाली जानकारी से एक पक्ष को अवगत रखने से न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, जिस पर उपरोक्त मामले में निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गई थीः

सी.

डी.

ई.

एफ.

"24. जबकि प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि केवल उन सामग्रियों का खुलासा करने की आवश्यकता है जिन पर बोर्ड द्वारा भरोसा किया गया है, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि सभी प्रासंगिक सामग्रियों का खुलासा करने की आवश्यकता है।इस मुद्दे का जवाब देने की कोशिश करते समय, हम कई अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहे हैं।न्याय तक पहुँच और पारदर्शिता के सिद्धांतों के आसपास के न्यायशास्त्र को आकार देने में ये सभी सर्वोपरि मुद्दे, आवश्यक प्रकटीकरण के उद्देश्य और सीमा की पहचान करने से लेकर न्याय तक पहुँच के परस्पर विरोधी दावों और गोपनीयता, गोपनीयता और बाजार हित जैसे सार्वजनिक हित के आधारों को संतुलित करने तक हैं।प्रकटीकरण के उद्देश्य की पहचान हमें ए के करीब ले जाएगी।

जी.

एच.

753

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा की पहचान करना।जानकारी के प्रकटीकरण के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

((i) विश्वसनीयता:दोनों पक्षों द्वारा जानकारी रखने से अदालतों को दलीलों की सच्चाई निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।न्यायालय की भूमिका कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके समक्ष लगाए गए आरोपों की सत्यता और सच्चाई का निर्धारण भी करती है।न्यायालय इस कार्य को केवल तभी सही ढंग से कर पाएगी जब दोनों पक्षों के पास जानकारी तक पहुंच हो और जानकारी से संबंधित तर्कों और जवाबी तर्कों को संबोधित करने का अवसर हो।

बी.

((ii) निष्पक्ष सुनवाई:चूँकि न्यायालय के एक फैसले का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह उचित है कि एक वैध अपेक्षा हो कि पक्षों को कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाए;

सी.

((ग) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:जांच एजेंसियों और न्यायिक संस्थानों को पारदर्शिता के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाता है न कि कार्यवाही की अपारदर्शिता के माध्यम से। अपारदर्शिता पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह और दंड से मुक्ति की संस्कृति को आगे बढ़ाती है-ऐसे सिद्धांत जो पारदर्शिता के विरोधी हैं।यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कानून के शासन पर आधारित देश में, संस्थान उन प्रक्रियाओं को अपनाएं जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हैं।निष्पक्षता और न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता के सिद्धांत खुले न्याय के सिद्धांत की आधारशिला हैं।यही कारण है कि एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रत्येक निर्णय या आदेश के लिए अपने कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है।हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्रक्रिया में पारदर्शी होने का कर्तव्य एक तर्कपूर्ण आदेश प्रदान करने से शुरू और समाप्त नहीं होता है।एक पक्ष को उस जानकारी से वंचित रखना जो एक न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करती है, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी कमजोर करता है।यह संबंधित पक्ष और बड़े पैमाने पर जनता को प्राधिकरण के निर्णयों की प्रभावी ढंग से जांच करने की क्षमता से वंचित करता है क्योंकि यह एक सूचना विषमता पैदा करता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

25. सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य केवल व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि निर्णय में त्रुटियों को रोकना है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई के बड़े संस्थागत उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में भी है।

एच.

पारदर्शिता।चूंकि सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य परिणाम (विश्वसनीयता) और प्रक्रिया (निष्पक्ष परीक्षण और पारदर्शिता) दोनों को लक्षित करता है, इसलिए यह अपर्याप्त होगा यदि केवल उस सामग्री का खुलासा किया जाए जिस पर भरोसा किया गया है।प्रकटीकरण का ऐसा नियम केवल परिणाम के साथ संबंध रखता है न कि प्रक्रिया के साथ।इसलिए, एक डिफ़ॉल्ट नियम के रूप में, सभी प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए।"

बी.

45. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ चित्रित तथ्यों का समूह अद्वितीय है।अपीलार्थी की विवादित कार्रवाई वर्ष 1994 की है और सुरंग के अंत में बिना किसी प्रकाश के लगभग तीन दशक बीत चुके हैं।2005 में एस. ई. बी. आई. की जांच रिपोर्ट कथित अपराध के बारे में अनिर्णायक थी।यहां तक कि भारत संघ के निगमित मामलों के मंत्री द्वारा एक विज्ञप्ति भी है जिसमें मामले को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77 के तहत अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है।इस संदर्भ में, अपीलार्थी को आवश्यक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जारी करके अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना आपराधिक शिकायत शुरू करने की एस. ई. बी. आई. की कार्रवाई की इस न्यायालय द्वारा सराहना नहीं की जा सकती क्योंकि यह अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का घोर उल्लंघन है।हाल ही में, एस. पी. वेलुमनी बनाम अराप्पोर इयक्कम, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 663 में, उन मामलों में दस्तावेज़ प्रकटीकरण की आवश्यकता पर विचार करते हुए जहां अभियोजन अधिकारी गर्म और ठंडे होते हैं, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

सी.

डी.

"22...प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने मांग की कि अपीलार्थी को उस सामग्री के आधार पर अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाए जिसने उसे शुरू में दोषमुक्त कर दिया था, जिसे मूल रूप से राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था।"

ई.

46. दस्तावेजों का खुलासा करने में विफल रहने में एस. ई. बी. आई. का दृष्टिकोण भी पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई की चिंता पैदा करता है।अपारदर्शिता केवल पूर्वाग्रह और पक्षपात का प्रचार करती है।अपारदर्शिता पारदर्शिता के विरोधी है।यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कानून के शासन पर आधारित देश में, संस्थानों को ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हैं।निष्पक्षता और न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता के सिद्धांत खुले न्याय के सिद्धांतों की आधारशिला हैं।

एफ.

जी.

47. यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के तहत देरी को माफ करने के निर्णय के लिए, आपराधिक शिकायत शुरू करने का तरीका और उसमें पहुंचे निष्कर्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हैं।

एच.

755

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

48. एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर, उत्तरदाताओं ने दस्तावेज़ प्रकटीकरण से छूट का दावा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 129 के तहत मुकदमेबाजी के विशेषाधिकार पर जोर दिया है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 निम्नानुसार हैः

129. कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय संचार।— नहीं।

कोई व्यक्ति अपने और अपने कानूनी पेशेवर सलाहकार के बीच हुए किसी भी गोपनीय संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर होगा, जब तक कि वह खुद को एक गवाह के रूप में पेश नहीं करता है, उस मामले में वह किसी भी ऐसे संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर हो सकता है जो न्यायालय को ज्ञात होने के लिए आवश्यक हो ताकि उसने जो भी सबूत दिया है उसे समझाया जा सके, लेकिन अन्य कोई नहीं।

बी.

सी.

49. इस तरह के प्रावधान का औचित्य सदियों से आम कानून को अच्छी तरह से पता है।सर जॉर्ज मैकेंजी के अवलोकन

राजा जेम्स द सिक्स्थ की 23 वीं संसद का 18 वां अधिनियम, सर जॉर्ज में लेनदारों की धोखाधड़ी आदि (1675) में किए गए निपटान के खिलाफ।

मैकेंजी की कृतियाँ खंड 2 (1755), पृष्ठ 1 महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने पृष्ठ 44 पर यह कहाः

डी.

“एक अधिवक्ता अपने रोजगार की प्रकृति से उसी निष्ठा से बंधा होता है जो कोई भी जमाकर्ता होता हैःक्योंकि उसके ग्राहक ने अपने स्तन में अपने सबसे बड़े रहस्यों को जमा कर दिया है; और यह आम-धन का हित है कि वह स्वतंत्रता अनुमत और सुरक्षित हो जिसके बिना लोग अपने मामलों और निजी व्यवसाय का प्रबंधन नहीं कर सकतेःऔर कौन उस स्वतंत्रता का उपयोग करेगा यदि वे इसके जाल में फंस सकते हैं?यह ऐसे लोगों के बीच एक अंतर पैदा करने वाला था, जिन्हें एक दूसरे के साथ सबसे अधिक आपसी विश्वास होना चाहिए; और इससे पुरुषों को अपने अधिवक्ताओं से इतनी जलन होगी कि वे अपना निजी व्यवसाय खो देंगे, या अपने न्यायपूर्ण बचाव में झुक जाएंगे, बजाय इसके कि वे अपने रहस्यों को उन लोगों के सामने खोल दें जो मामले के आधे छिपने पर उन्हें कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, या खुलासा होने पर उन्हें खोजने के लिए मजबूर हो सकते हैं।”

ई.

एफ.

इंग्लैंड में, कानूनी पेशेवर विशेषाधिकार को अक्सर दो उप-शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जाता हैःकानूनी सलाह विशेषाधिकार और मुकदमेबाजी विशेषाधिकार।कानूनी सलाह विशेषाधिकार में एक मुवक्किल और उसके कानूनी सलाहकार के बीच संचार शामिल है, और यह तब उपलब्ध होता है जब कार्यवाही अस्तित्व में होती है या विचार किया जाता है।दूसरी ओर मुकदमेबाजी के विशेषाधिकार में संचार का एक व्यापक वर्ग शामिल है, जैसे कि कानूनी सलाहकार और संभावित गवाहों के बीच।

जी.

एच.

50. इंग्लैंड में कानूनी सलाह विशेषाधिकार पर आते हुए, हाउस ऑफ

लार्ड्स थ्रू जस्टिस कार्सवेल इन थ्री रिवर्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और अन्य (उत्तरदाता) बनाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द बैंक ऑफ

इंग्लैंड **(**अपीलार्थी**), [2004]** यूकेएचएल **48** ने कानून का सारांश इस प्रकार दिया हैः

"19 वीं शताब्दी के जिन मामलों का मैंने उल्लेख किया है, उनकी त्रयी और आधुनिक मामले-कानून में व्यक्त योग्यताओं से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि मौजूदा या विचाराधीन मुकदमेबाजी के संबंध में जानकारी या सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षों या उनके वकीलों और तीसरे पक्षों के बीच संचार विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन केवल तभी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएंः

बी.

सी.

(ए) मुकदमेबाजी प्रगति पर या विचार में होनी चाहिए;

(ख) संचार उस मुकदमे के संचालन के एकमात्र या प्रमुख उद्देश्य के लिए किए गए होने चाहिए;

डी.

(ग) मुकदमा प्रतिकूल होना चाहिए, न कि जांच या पूछताछ।"

51. इस विशेषाधिकार के प्रतिकूल और खोजी मुकदमेबाजी/पूछताछ मुकदमेबाजी के आवेदन में अंतर अंग्रेजी अदालतों द्वारा इन रे के (शिशु), [1965] एसी 201 में निम्नानुसार तर्क दिया गया हैः

ई.

"जहाँ न्यायाधीश विशुद्ध रूप से या यहाँ तक कि मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के रूप में नहीं बैठा है, लेकिन उस पर संघर्ष से बाहर किसी के हितों की रक्षा करने का सर्वोच्च कर्तव्य है, एक नियम जो न्यायपूर्ण मध्यस्थता के लिए बनाया गया है, सभी परिस्थितियों में प्रबल नहीं हो सकता है।"

52. इसके अलावा, आर. ई. (एस. ए.) (एक नाबालिग) (वार्डशिपः न्यायालय का कर्तव्य),

एफ.

[1984] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 156, यह इंगित करते हुए कि वार्डशिप कार्यवाही में एक न्यायालय एक प्रतिकूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रही थी और किः

"इसका कर्तव्य पक्षों के बीच विवाद तक सीमित नहीं है:इसके विपरीत, इसका कर्तव्य वार्ड के सच्चे हित और कल्याण की सेवा के लिए अपने निर्णय में सबसे उपयुक्त तरीके से कार्य करना है। वार्डशिप अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय एक सच्चा पारिवारिक न्यायालय है।इसकी सर्वोच्च चिंता वार्ड का कल्याण है।इसलिए, कभी-कभी यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह पक्षकारों की दलीलों से परे वह करने के प्रयास में देखे जो उसे आवश्यक लगता है।

जी.

एच.

757

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]
ए

ए.

53. भारतीय स्थिति इंग्लैंड से अलग प्रतीत होती है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 से 129 प्रतिकूल और खोजी मुकदमेबाजी के बीच कोई अंतर नहीं करती है, और विशेषाधिकार पूरे समय लागू होता है।यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में बड़े पैमाने पर कानूनी पेशे की नींव को छूता है।यह न्यायालय इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अलग है और निम्नलिखित कारणों से ऐसा कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है:

बी.

आई. जाँच रिपोर्ट अनिर्णायक थी, जैसा कि स्वयं एस. ई. बी. आई. ने स्वीकार किया था।

ii.एस. ई. बी. आई. द्वारा इस मुद्दे को किसी विशेषज्ञ को भेजने के बजाय, वह स्वयं आगे की जांच की कवायद शुरू कर सकता था, जो नहीं की गई।

सी.

iii.एस. ई. बी. आई. ने अंततः आगे के कदम उठाए, केवल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की पहली राय के कारण। बी. एन. श्रीकृष्ण।

iv.न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की पहली राय। बी. एन. श्रीकृष्णा जाँच और उससे जुड़े दस्तावेजों का एक हिस्सा हैं।

डी.

v. इसके अलावा, कुछ दस्तावेजों का खुलासा पहले ही अपीलार्थी को किया जा चुका है।

54. इस मामले में सरल परीक्षा यह है कि क्या एस. ई. बी. आई. ने अकेले जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन शुरू किया है।अपने जवाब में एस. ई. बी. आई. की खुद की स्वीकारोक्ति से इसका जवाब 'नहीं' प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि जांच रिपोर्ट अनिर्णायक थी और

इसलिए विशेषज्ञों द्वारा लेनदेन की आगे की जांच की मांग की गई थी।मामला होने के नाते, आगे की रिपोर्ट और राय, चाहे वह किसी से भी हो, केवल एक नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. को तथ्यों का पता लगाने और अभियोजन के लिए या अन्यथा निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करने के लिए जांच का एक विस्तार है।

ई.

एफ.

55. उपरोक्त कारणों से, हम एस. ई. बी. आई. के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की पहली राय है। बी. एन. श्रीकृष्ण साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 के तहत 'कानूनी विशेषाधिकार' के दायरे में आते हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की दूसरी राय का भी यही मामला है। बी. एन. श्रीकृष्णा और श्री की रिपोर्ट। वाई. एच. मालेगाम, जो और कुछ नहीं बल्कि अपराध निर्धारण के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई तथ्य-खोज प्रक्रिया की निरंतरता है।

जी.

56. इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने बताया है कि वर्तमान कार्यवाही विद्वान

एच.

आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रक्रियाएं सख्ती से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। उनका कहना है कि सी. आर. पी. सी. के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का चरण धारा 207 और 208 के तहत प्रदान किया गया है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद होता है।एस. पी. वेलुमनी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह के विवाद को खारिज करते हुए कहाः

बी.

"26. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि राज्य का तर्क सामान्य परिस्थितियों में उचित हो सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के संदर्भ में संज्ञान लेने के बाद अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों का हकदार है। हालाँकि, इस मामले को इसके तथ्यों के आधार पर आसानी से अलग किया जा सकता है।वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. की शुरुआत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही से होती है, जिसमें

राज्य ने अपने स्वयं के हलफनामे और उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के विपरीत इस मुद्दे की फिर से जांच करने का विकल्प चुना है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध नहीं किया गया था।इस पृष्ठभूमि में हमारा मानना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के आदेश को अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिकारों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करने के लिए पत्थर में उकेरे गए प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।"

सी.

डी.

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्हें ऊपर जोड़ा गया है, हमारी दृढ़ राय है कि एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया गया बचाव कि उन्हें इस स्तर पर किसी भी दस्तावेज का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा अनुरोध सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में पूर्व-परिपक्व है, को कायम नहीं रखा जा सकता है।57. इससे पहले कि हम वर्तमान अपील को छोड़ दें, इस मामले का एक और परेशान करने वाला पहलू जो सामने आता है, वह है उन दस्तावेजों को चुनने का SEBI का प्रयास, जिनका खुलासा करने का उसका प्रस्ताव है।इस तथ्य पर विवाद है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की राय के कुछ अंश। बी. एन. श्रीकृष्ण को इसमें अपीलार्थी के सामने प्रकट किया गया था।अपीलार्थी का यह आरोप है कि जिन भागों का खुलासा किया गया था, वे अस्पष्ट रूप से अपीलार्थी की दोषसिद्धि की ओर इशारा करते हैं, लेकिन एस. ई. बी. आई. ऐसी जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर रहा है जो उसे दोषमुक्त करती है।एस. ई. बी. आई. द्वारा इस तरह की चेरी-पिकिंग केवल प्रतिबद्धता का अपमान करती है।

ई.

एफ.

जी.

निष्पक्ष सुनवाई के लिए।नी कार्टेरिया मैरीटाइम कंपनी लिमिटेड बनाम अटलांटिक एंड ग्रेट

लेक स्टीमशिप कार्पोरेशन**, [1981]** कॉम एल**.** आर**. 138 139** पर**,** जे**.** मस्टिल निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित हैः

'मेरा मानना है कि अभ्यास के नियम में अंतर्निहित सिद्धांत

बर्नेल बनाम ब्रिटिश परिवहन आयोग [1956] ए में उदाहरण दिया गया

एच.

759

ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [एन. वी. रमना, सीजेआई]

1 क्यू. बी. 187 यह है कि जहां एक पक्ष न्यायालय में ऐसी सामग्री तैनात कर रहा है जो अन्यथा विशेषाधिकार प्राप्त होगी, तो विरोधी पक्ष और न्यायालय को खुद को संतुष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए कि पक्ष ने विशेषाधिकार से मुक्त करने के लिए जो कुछ भी चुना है, वह प्रश्नगत मुद्दे से संबंधित पूरी सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है।किसी एक वस्तु को संदर्भ से बाहर निकालने की अनुमति देना उसके वास्तविक वजन या अर्थ को गलत समझने के माध्यम से अन्याय का जोखिम उठाना होगा।'

बी.

उपरोक्त सिद्धांत को अक्सर 'चेरी-पिकिंग' सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है।

58. हाथ में मामले में, एस. ई. बी. आई. दस्तावेजों के कुछ हिस्सों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता था और साथ ही, कुछ हिस्से का खुलासा करने के लिए सहमत हो सकता था। इस तरह के चयनात्मक प्रकटीकरण को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से चेरी-पिकिंग के बराबर है।

सी.

59. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और प्रत्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति अपीलार्थी को तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैंः-

डी.

(i) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा की पहली राय (ii) वाई. एच. मालेगाम की रिपोर्ट

((ग) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा की दूसरी राय

ई.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.